भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

(74)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2018 निगरानी

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/01301

1. मनोज कुमार
2. सुनील कुमार पुत्रगण मोहन सिह, निवासीगण–ग्राम बरौआ, नूराबाद, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) ----**प्रार्थीगण**

श्री अजय पाल ग्वालियर द्वारा आज दि. 20/2/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक सुनवाई हेतु दिनांक 6/3/18 नियत। 20/2/18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म.प्र. शासन ----**प्रतिप्रार्थी**

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16/01/2018 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक–166/2009–10 स्वमेव निगरानी</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/1301

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 16-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा विस्तृत विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के विपरीत प्रश्नाधीन भूमियों का व्यवस्थापन आवेदकगण के पक्ष में किया गया है । अत: कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 3-2-2000 निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय अभिलेख में प्रविष्टि कर कब्जा लिये जाने के आदेश देने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई । अत: यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	